

60/11

भरतसिंह/सूखी

12.2017

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

वकील अपीलान्ट उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के दावा सं० 134/10 उनवानी भरत सिंह बनाम श्रीमती सूखी निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2016 की फोटो प्रति पेश की जिसमें अपीलान्ट का दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है तथा ख० नं० 99 रकवा 0.07 के 1/2 भाग पर तथा 100 रकवा 0.11 है० के 1/4 भाग पर वादी/अपीलान्ट भरतसिंह को खातेदार कृषक घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में दावे के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2016 की रोशनी में अपीलाधीन आदेश स्वतः ही प्रभावहीन हो चुके हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.04.2011 एवं नामा० सं० 1007 दिनांक 10.05.2010 निरस्त किये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ़्तर हो।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभागा, भरतपुर